न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 267/2016

वादीनी :-
रामज्योति पुत्री श्री सुगनाराम जाति माली
निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :-
1-रामस्वरूप पुत्र सुगनाराम
2-शांतिदेवी पत्नि सुगनाराम
3-रामा पुत्री सुगनाराम
4-संगीता पुत्री सुगनाराम
5-प्रेमलता पुत्री सुगनाराम
6-संतोष पुत्री सुगनाराम
जातियान माली निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
7-तहसीलदार रियांबड़ी
8-पटवार हल्का जसनगर
9-उप पंजियक रियांबड़ी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :- 04/11/22

वादीनी ने यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी,स्थाई निषेधाज्ञा आरटीएक्ट के तहत विरूध प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया है :-

यह है कि वादीनी व प्रतिवादीगण 1 से 6 सभी हिन्दु है और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 सगी बहने है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीनी की भाई व 2 इनकी माता है जो स्व.सुगनाराम जी के वारिस है।

यह है कि मौजा जसनगर के खसरा नंबर 1031 रकबा 0.28 हैक्टर,खसरा नंबर 292 रकबा 0.35 हैक्टर,खसरा नंबर 293 रकबा 0.33 हैक्टर,खसरा नंबर 294 रकबा 0.43 हैक्टर,खसरा नंबर 1032 रकबा 0.48 हैक्टर,खसरा नंबर 1037 रकबा 0.03 हैक्टर,खसरा नंबर 1038 रकबा 0.06 हैक्टर,खसरा नंबर 1075 रकबा 0.14 हैक्टर,खसरा नंबर 1104 रकबा 0.06 हैक्टर गे.मु. बेरा,खसरा नंबर 1958 रकबा 0.04 हैक्टर गे.मु.बेरा, खसरा नंबर 303 रकबा 0.5300 हैक्टर,खसरा नंबर 304 रकबा 0.49 हैक्टर,खसरा नंबर 305 रकबा 0.57 हैक्टर की भूमि वादीनी के पिता सुगनाराम जी व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा थी। जो आगे वाद में वादग्रस्त आराजी के नाम से जानी जावेगी। अन्य सह खातेदारान से वादीनी का कोई विवाद नहीं है। इसलिए अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह है कि उक्त खसरान की भूमि पूर्व में वादीनी के पिता स्व.सुगनाराम की खातेदारी की थी। उनके स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम उतराधिकार में प्राप्त हुई। उक्त खसरान की भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की पैतृक भूमि है,जिसमें वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी

कि जब वादीनी के पिता का स्वर्गवास हुआ तब प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर सुगनाराम के उतराधिकारी केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बताकर अपने व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी का इन्द्राज करवा लिया। जबकि सभी का समान हक व हिस्सा है।

यह है कि वादग्रस्त खसरान की जमीन पक्षकारान की पैतृक भूमि है। उक्त खसरान की जमीन वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। सभी का 1/7–1/7 हिस्सा है। जिस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि वादग्रस्त खसरान पर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। मगर अब प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है तथा प्रतिवादीगण के बदनियतिपूर्ण रवैये को देखते हुए शामलाती काश्त करना संभव नहीं रहा। तथा वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम खातेदारी करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 इंकार हो गया और वादीनी के हक व अधिकारो को चुनौति दी गई। इस हेतू यह वाद वादीनी पेश कर रही है।

यह है कि इस्तदुआ वादीनी यह है कि दावा वादीनी की डिक्री बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय की फरमाई जावें कि,वादग्रस्त खसरान में स्वर्गीय सुगनाराम जी के हिस्से की वादीनी की 1/7 हिस्सा की खातेदार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 प्रत्येक 1/7–1/7हिस्सा के खातेदार है। इसी अनुरूप वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का ईन्द्राज किया जावें।

यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त खसरान में प्रतिवादी संख्या 1 वादीनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार कीदखलदांजी न तो स्वंय करें ना ही अन्य से करवावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब देही हेतू तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से वकील ज्योतिपुरी ने वकालेतनामा मय जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि :–

यह है कि वाद पत्र का पैरा संख्या 01 सही होने स्वीकार है।

यह है कि वाद पत्र का पैरा संख्या 01 सही होने स्वीकार है।

यह है कि वाद पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है कि वादग्रस्त खसरान में केवल वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 का हक व हिस्सा व बंट है। क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से 6 उक्त विवादग्रस्त आराजीयान में से अपना बंट व हिस्सा मौखिक रूप से वादीनी व प्रतिवादी नंबर 2 के हक में हकत्याग कर दिया है। जो हक त्याग करने के पश्चात वादीनी व प्रतिवादी नंबर 2 का हक व अधिकार है। राजस्व रेकार्ड में जो प्रतिवादी नबर 1 व 2 का नाम दर्ज है वादीनी का नाम दर्ज नहीं हो रखा है। परंतु वादीनी का उक्त आराजीयान में समान हक व हिस्सा प्रतिवादीनी नंबर 2 के साथ है। यानि 1/2 भाग वादीनी का व 1/2 भाग प्रतिवादी नंबर 2 का है। बकाया प्रतिवादीगण ने अपना हिस्सा इनके नाम हक त्याग कर दिया है। जिससे उनका उक्त विवादगस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। न कोई कब्जा काश्त रहा है ना मौजूदा है।

यह है कि वादपत्र में वर्णित आराजीयान का नामान्तकरण करने में कोई मिलावट नहीं की है। वादीनी का नाम सहवन से रह गया है। बकाया प्रतिवादीगण ने वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हकत्याग करने से नामान्तकरण में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी(नागौर)

कि वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में काश्त कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है। वादी संख्या 3 से 6 व वादीनी का काश्त व कब्जा नहीं है।

है कि माफिक वाद वादीनी घोषणा की डिक्री पाने की अधिकारी नहीं है। वादीनी का वादग्रस्त आराजी पर आधा हिस्सा है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काश्त व काबिज है। उक्त आराजी में 1/7–1/7 हिस्सा नहीं है। अतः वादीनी का वाद खारीज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड,जबाब दावा व वादीनी के शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादीनी व प्रतिवादीगण 01 से 06 स्व.सुगनाराम के उतराधिकारी है। तथा वादग्रस्त आराजी स्व.सुगनाराम की पैतृक भूमि है। स्व.सुगनाराम के देहान्त के बाद में वादग्रस्त आराजी में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना था। मगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उतराधिकारी मानकर उनके नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। वकील प्रतिवादी ने हक त्याग की बात अपने जबाब में बताई मगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हक त्याग किया गया हो। स्व. सुगनाराम की पैतृक भूमि में समस्त उतराधिकारीगण के नाम खातेदारी में दर्ज लाजमी है।

अतः वादीनी का खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि " मौजा जसनगर के खसरा नंबर 1031 रकबा 0.28 हैक्टर,खसरा नंबर 292 रकबा 0.35 हैक्टर,खसरा नंबर 293 रकबा 0.33 हैक्टर,खसरा नंबर 294 रकबा 0.43 हैक्टर,खसरा नंबर 1032 रकबा 0.48 हैक्टर,खसरा नंबर 1037 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1038 रकबा 0.06 हैक्टर,खसरा नंबर 1075 रकबा 0.14 हैक्टर,खसरा नंबर1104 रकबा 0.06 हैक्टर गे.मु.बेरा,खसरा नंबर 1958 रकबा 0.04 हैक्टर गे.मु. बेरा, खसरा नंबर 303 रकबा 0.5300 हैक्टर,खसरा नंबर 304 रकबा 0.49 हैक्टर,खसरा नंबर 305 रकबा 0.57 हैक्टर की भूमि में स्व.सुगनाराम के हिस्से की भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 के नाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सह खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जाती है। "

"तहसीलदार रियांबड़ी किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हों। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः- यदि किसी खसरा पर रहन दर्ज हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 04-11-2022 बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(बाड़मेर)